नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)

नगर निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत स्थित रिक्त/खुली भूमि पर नियमानुसार संपत्तिकर अधिरोपण एवं वसूली की कार्यवाही प्रचलित है जिसमें नागरिकों को खुली भूमि पर संपत्तिकर अधिरोपित होने की जानकारी के अभाव के कारण भूखंड स्वामी द्वारा संपत्तिकर का भुगतान समय पर नहीं हो पाने के कारण राशि बकाया हो जाता है जिसमें संपत्तिकरदाता को अधिभार सहित भुगतान करना पड़ता है. उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए खुली भूमि पर करारोपण में छूट/ शिथिलीकरण/ रियायत दिये जाने के संबंध में मेयर इन कौंसिल के संकल्प क्र.-33 पारित दिनांक 15.06.2023 के अनुसार आवासीय छोटे प्लाट जो 5000 वर्गफीट तक के हो, के लिए गत दो वर्षों का बकाया संपत्तिकर बिना अधिभार के लिये जाने तथा 5000 वर्गफीट से अधिक के आवासीय एवं संपूर्ण व्यावसायिक भूखंड के लिए यह छूट लागू नहीं होने के प्रस्ताव पारित किया गया है.

करो में नियमतः छूट देने का अधिकार शासन को है. अतः प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है. शासन से बकाया कर में छूट देने संबंधी आदेश प्राप्त होने के बाद ही यह छूट लागू की जा सकेगी, तब तक के लिए पूर्वानुसार ही टैक्स वसूली जारी रहेगी.

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिका निगम
रायपुर (छ.ग.)

घरो से निकलने वाले सूखा और गीला कचरे को सफाई मित्र (वाहन) को देवें.